

(95)



प्राप्ति नाम - श्री लखेणु भण्डार
द्वारा प्रस्तुत
दिनांक 22/12/09
युक्त क अक्षय
उज्ज्वल समाज

R. 75-2109

श्री लखेणु भण्डार, 75/2009

श्री

अपील क

-निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम-

Handwritten signature
Date 13/11/09

न्यायालय श्रीमान् मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी महोदय,
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

श्री सुखराम पिता श्री मोहनलालजी नोटानी, आयु 47 वर्ष,
निवासी 27 टी.आई.टी.रोड रतलाम

प्रार्थी

विरुद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा उप पंजीयक, रतलाम
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प रतलाम
3. कु.नैना पिता मोहनलालजी नोटानी, आयु 41 वर्ष,
4. कु.ज्योती पिता मोहनलालजी नोटानी, आयु 48 वर्ष,
निवासीयान 27 टी.आई.टी.रोड, रतलाम

प्रतिप्रार्थीगण

-निगरानी अन्तर्गत धारा 56 भारतीय स्टॉम्प अधिनियम-
-निगरानी बनाराजगी आदेश दिनांक 31.10.2008 जो प्रकरण क्रमांक
-42/बी-104/2007-08 में न्यायालय श्रीमान् जिला पंजीयक एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प
-महोदय, रतलाम द्वारा पारित किया है, से असंतुष्ट होकर-

Handwritten mark

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

86

25

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-75-एक/2009

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पत्रकारिता एवं अभिलेखिकों अधि के द्वारा
30-08-2019	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 13-09-2012 से लगातार अनुपस्थित है, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।</p> <p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>	